

आज दिनांक 30.08.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **\*श्री अखिल कुमार\*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **\*श्री आर0के0 भारद्वाज\*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **\*श्री सत्यजीत गुप्ता\*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य-

**थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले से संबंधित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार\***

जनपद में **\*मिशन शक्ति अभियान\*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री सत्यजीत गुप्ता\*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **\*श्रीमती दीपांशी राठौर\*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद **\*श्री सर्वेश राय\*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 405/2023 धारा 363 / 366 / 368 / 376 / 352 / 504 / 506 भादवि, 5 / 6 पाक्सो एक्ट व 16 / 17 पाक्सो एक्ट के मामले से संबंधित 02 नफर अभियुक्त नाम पता 1-दीपक पुत्र रामउजागिर, 2- रामउजागिर पुत्र डीभील निवासीगण एकमा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को कटहवा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**\*गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-\***

- 1-दीपक पुत्र रामउजागिर निवासी एकमा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
- 2- रामउजागिर पुत्र डीभील निवासी एकमा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

**\*गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-\***

- 1-उ0नि0 श्री ओमप्रकाश यादव थाना को0 खलीलाबाद।
- 2- कां0 सत्येन्द्र कुमार सिंह थाना को0 खलीलाबाद।
- 3- कां0 अभिषेक पाल थाना को0 खलीलाबाद।

**\*थाना बखिरा पुलिस द्वारा चोरी के 04 अदद मोबाइल फोन के साथ अभियुक्त गिरफ्तार\***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **\*श्री सत्यजीत गुप्ता\*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी मेहदावल **\*श्री अम्बरीष सिंह भदौरिया\*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बखिरा **\*श्री श्याम मोहन\*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 284/2023 धारा 380 भादवि से संबंधित अभियुक्त तालिब खान पुत्र मो0 ताहिर निवासी नन्दौर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को कम्हरिया नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\***

तालिब खान पुत्र मो0 ताहिर निवासी नन्दौर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर **बरामदगी का विवरण -**

**\*पंजीकृत अभियोग:-\***

मु0अ0सं0 284/2023 धारा 380 भादवि व बढोत्तरी धारा 411 भादवि।

**बरामदगी:-**

04 अदद मोबाइल फोन ( 02 अदद ओप्पो कम्पनी, 01 अदद सैमसंग कम्पनी, 01 अदद लावा कम्पनी)

## \*विवरण-\*

दिनांक 29.08.2023 को वादी श्री शमशाद पुत्र सजीर अहमद निवासी नन्दौर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि दिनांक 27/28.08.2023 की रात्रि में सोते समय अज्ञात व्यक्ति द्वारा उक्त चारों मोबाइलों को चोरी कर लिया गया है। घटना के संबंध में थाना बखिरा पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें बखिरा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना में प्रकाश में आये अभियुक्त को चोरी की चारों मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया गया।

## \*गिरफ्तारी टीम-\*

उ०नि० श्री संजय कुमार यादव, कां० आलोक यादव, कां० मनीष यादव।

## \*फरार चल रहे वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत 01 नफर वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार\*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री सत्यजीत गुप्ता\* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत \*थाना मेहदावल पुलिस द्वारा\* 01 नफर वारण्टी अभियुक्त नाम पता जुगुल किशोर पुत्र सजल निवासी गड़सरपार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

\*गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-\*

उ०नि० श्री बृजेश सिंह, हे०कां० विजय सिंह, कां० धीरेन्द्र सिंह।

## \*पीआरवी आफ द डे\*

\*पीआरवी 1487 द्वारा दो पक्षों के विवाद को कराया गया शांत व विवाद में घायल 03 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल\*— पीआरवी 1487 को थाना दुधारा क्षेत्रान्तर्गत करही से इवेन्ट संख्या 05961 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से 03 व्यक्ति ( 1-श्रीराम पुत्र रामदुलारे, 2- रंजीत पुत्र श्रीराम, 3-महेश पुत्र रामसुभग निवासीगण करही थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर विवाद को शांत कराकर विवाद में घायल व्यक्तियों को इलाज हेतु निजी वाहन से अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना दुधारा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शांत कराकर विवाद में घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

\*पीआरवी स्टाफ\* – मु०आ० शैलेश कुमार यादव, आ० जितेन्द्र चौधरी, हो०चा० रामकृष्ण मौर्य।

## \*शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 06 अभियुक्त गिरफ्तार\*

- थाना महुली पुलिस द्वारा\* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना मेहदावल पुलिस द्वारा\* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

**\*मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 68 वाहनों से 74,000 रू0 सम्मन शुल्क का चालान किया गया\***

आज दिनांक 30.08.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 68 वाहनों से 74,000 रू0 सम्मन शुल्क का चालान किया ।